गंदगी | बरसात में संक्रमण फैलने का बढ़ा खतरा

सिविक सेंटर दवा बाजार में गंदगी का अंबार

जबलपुर, नवभारत। शहर के प्रमुख व्यावसायिक क्षेत्रों में शामिल सिविक सेंटर स्थित दवा बाज़ार इन दिनों गंदगी और अव्यवस्था की गंभीर समस्या से जूझ रहा है। बरसात के मौसम में नियमित रूप से कचरा नहीं उठाए जाने के कारण बाजार परिसर और आसपास के क्षेत्रों में कूड़े के ढेर जमा हो गए हैं। बारिश का पानी इन कचरे के ढेरों से होकर गुजर रहा है, जिससे दवाइयों के अवशेष, पैकिंग सामग्री और अन्य मेडिकल अपशिष्ट पानी में मिलकर आसपास फैल रहे हैं। इससे न केवल दुर्गंध फैल रही है, बल्कि संक्रमण और संक्रामक बीमारियों का खतरा भी बढ़ता जा रहा है। दवा व्यापारियों और लोगों का कहना है कि नगर निगम की सफाई व्यवस्था इस क्षेत्र में पूरी तरह लचर नजर आ रही है। कई दिनों तक कचरा नहीं उठने से बारिश के दौरान पूरा क्षेत्र गंदे पानी से भर जाता है। दवा दुकानों से निकलने वाली पैकिंग सामग्री, एक्सपायरी दवाइयों के खाली रैपर, प्लास्टिक और अन्य कचरा पानी में बहकर नालियों तक पहुंच रहा है। इससे नालियां भी जाम हो रही हैं और जलभराव की स्थिति बन रही है। बाजार में आने वाले मरीजों, बुजुर्गों और आम नागरिकों को बदबू और गंदगी के बीच होकर गुजरना पड़ रहा है।

रोज उठे कचरा स्वच्छ हो परिसर

स्थानीय व्यापारियों और नागरिकों ने नगर निगम से मांग की है कि दवा बाजार में प्रतिदिन कचरा उठाने की व्यवस्था सुनिश्चित की जाए, नालियों की नियमित सफाई कराई जाए और मेडिकल अपशिष्ट के सुरक्षित निस्तारण की प्रभावी व्यवस्था बनाई जाए। उनका कहना है कि स्वच्छता केवल सौंदर्य का विषय नहीं बल्कि जनस्वास्थ्य से जुड़ा महत्वपूर्ण मुद्दा है, जिस पर तत्काल ध्यान देना आवश्यक है।

स्वच्छता का ध्यान रखा जाना चाहिए

व्यापारियों का कहना है कि दवा बाजार ऐसा स्थान है जहां प्रतिदिन बड़ी संख्या में मरीज, उनके परिजन और स्वास्थ्य सेवाओं से जुड़े लोग आते हैं। ऐसे संवेदनशील क्षेत्र में स्वच्छता का विशेष ध्यान रखा जाना चाहिए, लेकिन वर्तमान हालात इसके बिल्कुल विपरीत हैं। उनका आरोप है कि कई बार संबंधित अधिकारियों को समस्या से अवगत कराने के बावजूद नियमित सफाई और कचरा उठाने की व्यवस्था नहीं की जा रही है। स्वास्थ्य विशेषज्ञों का भी मानना है कि बरसात के मौसम में गंदगी और मेडिकल कचरे का खुले में पड़े रहना संक्रमण के खतरे को कई गुना बढ़ा देता है। दूषित पानी के संपर्क में आने से त्वचा संबंधी संक्रमण, डेंगू, मलेरिया, वायरल बुखार और अन्य संक्रामक बीमारियों के फैलने की आशंका बनी रहती है। यदि समय रहते सफाई व्यवस्था में सुधार नहीं किया गया तो यह समस्या गंभीर स्वास्थ्य संकट का रूप ले सकती है।

इंस्टाग्राम पर दोस्ती शादी का झांसा देकर लूटी आबरू

नवभारत, जबलपुर । सोशल मीडिया पर दोस्ती के बाद प्यार और फिर शादी का झांसा देकर एक युवक ने किशोरी की आबरू लूटी। चरगवां पुलिस ने रिपोर्ट पर प्रकरण दर्ज कर आरोपित को गिरफ्तार कर लिया जिसे न्यायालय के समक्ष पेश करने के बाद जेल भेज दिया गया है। पुलिस से मिली जानकारी के मुताबिक, डबोला चरगवां) निवासी रंजीत गोंड पिता बंसीलाल गोंड, 25 वर्ष की दोस्ती गांव की ही एक 14 वर्षीय किशोरी से सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म इंस्टाग्राम के जरिए हुई थी। इंस्टाग्राम पर शुरू हुआ बातचीत का यह सिलसिला धीरे-धीरे गहराता गया और रंजीत ने किशोरी को अपने प्रेम जाल में फंसा लिया आरोपी रंजीत ने किशोरी को शादी का झांसा दिया और पिछले पांच महीनों से लगातार उसका शारीरिक शोषण कर रहा था। वह देर रात पीड़िता को उसके घर के पीछे बनी बाड़ी में मिलने के लिए बुलाता था, जहां शादी का वादा कर उसके साथ दुष्कर्म की वारदात को अंजाम देता था। जब आरोपी अपने शादी के वादे से मुकर गया, तब पीड़िता ने हिम्मत जुटाकर थाने में आरोपी के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई।

हाईकोर्ट के आदेश की अवहेलना पर दो अधिकारी निलंबित

▸ पीएस राजस्व को भविष्य में अक्षरश: पालन के सख्त निर्देश

जबलपुर। हाईकोर्ट के जस्टिस विशाल मिश्रा की एकलपीठ ने आदेश के पालन में लापरवाही पर कड़ा रुख अपनाते हुए स्पष्ट किया कि न्यायालय के निर्देशों का अक्षरशः पालन होना चाहिए। कोर्ट ने अवमानना याचिका का निराकरण करते हुए राजस्व विभाग के प्रमुख सचिव को भविष्य में ऐसे मामलों में विलंब न होने देने के निर्देश दिये है। मामले की सुनवाई के दौरान प्रमुख सचिव राजस्व विभाग स्वयं अदालत में उपस्थित हुए। उन्होंने आदेश के पालन में हुई देरी के लिए बिना शर्त क्षमा मांगी और अतिरिक्त अनुपालन प्रतिवेदन प्रस्तुत किया।

दरअसल टीकमगढ़ निवासी राकेश सहित अन्य ने याचिका दायर कर आरोप लगाया था कि संबंधित राजस्व अधिकारियों ने न्यायालय के आदेश का पालन नहीं किया और भूमि संबंधी विवाद में वैधानिक कार्रवाई लंबित रखी। इस पर हाईकोर्ट से अवमानना की कार्रवाई की मांग करते हुए दोषी अधिकारियों के विरुद्ध आवश्यक निर्देश जारी करने का आग्रह किया गया था। उक्त मामले में पूर्व आदेश के परिपालन में राजस्व पीएस हाजिर हुए। जिन्होने अनुपालन प्रतिवेदन पेश कर बताया कि 30 जून 2026 का त्रुटिपूर्ण आदेश निरस्त कर एक जुलाई 2026 को राजस्व मंडल के निर्देशों के अनुरूप नया आदेश पारित किया गया तथा याचिकाकर्ताओं के नाम राजस्व अभिलेखों में दर्ज कर दिए गए हैं। कोर्ट को यह भी बताया गया कि लापरवाही के लिए तत्कालीन नायब तहसीलदार शिब्बू सिंह कसोरिया व प्रभारी डिप्टी कलेक्टर व एसडीओं (राजस्व) संजय दुबे को निलंबित कर दिया गया है। साथ ही कलेक्टर टीकमगढ़ को वरिष्ठ अधिकारियों की जांच समिति गठित कर दोषी अधिकारियों के विरुद्ध उचित कार्रवाई के निर्देश दिए गए हैं।

याचिकाकर्ताओं की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता सिद्धार्थ गुलाटी व अधिवक्ता भानु प्रताप यादव ने पक्ष रखा, जबकि राज्य की ओर से अतिरिक्त महाधिवक्ता एचएस रूपराह उपस्थित हुए। अनुपालन संतोषजनक पाए जाने पर कोर्ट ने अवमानना याचिका का निराकरण कर दिया।

96 हजार आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को 48 माह का एरियर देने के निर्देश

जबलपुर। प्रदेश की लगभग 96 हजार आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं और सहायिकाओं के लिए राहत भरी खबर सामने आई है। मध्य प्रदेश हाई कोर्ट की डिवीजन बेंच ने राज्य सरकार को वर्ष 2019 से 2023 के बीच का चार साल (48 माह) का लंबित मानदेय एरियर भुगतान करने का निर्देश दिया है। अदालत के इस फैसले के बाद सरकार को करीब 1400 करोड़ रुपये का बकाया भुगतान करना होगा। हालांकि, एरियर पर 6 प्रतिशत ब्याज देने का आदेश रद्द कर दिया गया है। वर्ष 2018 में केंद्र सरकार ने आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के मानदेय में 1,500 रुपये की वृद्धि की थी। इसके बाद 2019 में प्रदेश में नई सरकार बनने पर राज्य सरकार ने अपने हिस्से का अंशदान कम कर दिया। इसका असर यह हुआ कि केंद्र की ओर से बढ़ाई गई राशि का पूरा लाभ आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं और सहायिकाओं तक नहीं पहुंच सका। इस निर्णय के विरोध में आंगनबाड़ी संगठन ने हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया और राज्य सरकार के फैसले को चुनौती दी। मामले की सुनवाई के दौरान हाई कोर्ट की एकलपीठ ने राज्य सरकार की ओर से अंशदान घटाने को नियमों के अनुरूप नहीं माना था। अदालत ने जून 2019 से जून 2023 तक के 48 माह का एरियर 120 दिनों के भीतर 6 प्रतिशत वार्षिक ब्याज सहित देने का निर्देश दिया था। इसके अलावा आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं और सहायिकाओं को ग्रेच्युटी का लाभ उपलब्ध कराने का आदेश भी दिया गया था।

डिवीजन बेंच ने क्या कहा...

जस्टिस आनंद पाठक और जस्टिस बी.पी. शर्मा की खंडपीठ ने अपने फैसले में कहा कि केंद्र सरकार द्वारा मानदेय में बढ़ोतरी किए जाने के बाद राज्य सरकार अपने अंशदान में कटौती नहीं कर सकती थी। ऐसा करने से लाभार्थियों को मिलने वाला वास्तविक आर्थिक फायदा कम हो गया। पीठ ने राज्य सरकार को पूर्व की व्यवस्था के अनुसार अपना अंशदान बनाए रखने और वर्ष 2019 से 2023 तक का बकाया एरियर जारी करने के निर्देश दिए।

ब्याज क्यों नहीं मिलेगा?

डिवीजन बेंच ने यह भी स्पष्ट किया कि मूल याचिका में एरियर पर ब्याज देने की मांग के समर्थन में पर्याप्त कानूनी आधार प्रस्तुत नहीं किया गया था। इसी कारण एकलपीठ द्वारा दिया गया 6 प्रतिशत ब्याज का आदेश निरस्त कर दिया गया। हालांकि, ग्रेच्युटी संबंधी आदेश को यथावत रखा गया है।

अदालत के आदेश के बाद राज्य सरकार को लगभग 1400 करोड़ रुपये का एरियर भुगतान करना होगा। यदि ब्याज का आदेश भी बरकरार रहता, तो कुल वित्तीय दायित्व करीब 1700 करोड़ रुपये तक पहुंच सकता था। ब्याज संबंधी आदेश हटने से सरकार को लगभग 300 करोड़ रुपये की अतिरिक्त देनदारी से राहत मिली है।

एक नजर में

दहशत का पर्याय बना सांप तेरह घंटे बाद पकड़ा गया

नवभारत,जबलपुर। भेड़ाघाट थानांतर्गत लम्हेटा घाट रोड स्थित दलपतपुर स्थित एक मार्बल गोडाउन में तड़के सुबह 05 बजे से एक चार फीट लंबा सांप वहां सुरक्षा कर्मी गोलू सिंह राजपूत के घर की देहरी पर घात लगाए बैठा था।जब गोलू लघुशंका के लिए बाहर आया तो सर्प प्रेशर कुकर की तरह लंबी लंबी सीटी की तरह फुंफकारने लगा जिससे गोलू दबे पांव वापस घर के अंदर चला गया और दरवाजा बंद कर दिया। सुबह 9 बजे देखा तो सर्प गायब हो गया फिर सांयकाल 5 बजे सर्प उसी स्थान पर वापस आ कर शिकारी मुद्रा में बैठ कर फुंफकारने लगा। गोलू ने तत्काल सर्प विशेषज्ञ गजेन्द्र दुबे को सूचना दी जिन्होंने मौके पर पहुंचकर देखा कि सांप एक बड़े आकार के चूहे को धीरे धीरे लील रहा है। श्री दुबे ने सुरक्षित रैस्क्यू करते हुए सांप को पकड़कर जंगल में छोड़ दिया। पकड़ा गए सांप में सबसे खतरनाक हीमो टाक्सिन जहर पाया जाता है। सर्प दंश से तीन घंटे के भीतर मैडिकल उपचार मिलने पर ही पीड़ित व्यक्ति पूरी तरह बच जाता है।

अवैध गैस रिफलिंग सेंटर के अड्डे पर पुलिस का छापा

नवभारत,जबलपुर। संजीवनी नगर पुलिस ने गुजराती कॉलोनी में अवैध गैस रिफलिंग सेंटर के अड्डे पर दबिश देते हुए एक गैंस एजेंसी के कर्मचारी को गिरफ्तार किया । मौके से सात गैस सिलेंडर समेत उपकरण जब्त किए गए । टीआई बी. डी. द्विवेदी ने बताया कि गुजराती कॉलोनी में चन्द्रप्रकाश साहू के मकान के बाहर आगंन में गैस रिफलिंग का कारोबार चल रहा था । पुलिस ने घेराबंदी करते हुए घरेलू गैस सेलेण्डर से अन्य गैस सेलेण्डर में व्यावसायिक उपयोग कर गैस रिफिलिंग का कार्य करते अमन साहू 21 वर्ष निवासी गुजराती कॉलोनी को दबोचा । जिसने पूछताछ में बताया कि वे दीप गैस ऐजेन्सी में काम करता है। मामा चन्द्रप्रकाश साहू के घर गुजराती कालोनी में गैस रिफलिंग करता है। अवैध रूप से पेट्रोलियम गैस को सिलेंडरों से अन्य सिलेंडरों में गैस रिफलिंग कर अनाधिकृत रुप से गैस विक्रय किया जा रहा था ।

मानव मिलन संस्था ने दिव्यांग बच्चों को बांटी छतरियां

नवभारत, जबलपुर। मानव मिलन संस्था द्वारा 8 जुलाई को जॉर्ज टाउन स्थित विकलांग सेवा भारती चेतना में मानसिक मंद दिव्यांग बच्चों को बरसात को देखते हुए छतरी का वितरण किया गया, जिससे बच्चों के चेहरे खिल उठे और उन्हें बहुत खुशी हो रही थी। इस अवसर पर मानव संस्था के अध्यक्ष मयूर संघवी, सुभाष डागा, गोपाल हुंका, प्राचार्य सचिन प्रजापति, गुलनाज बी, सुचिता द्विवेदी, मनीषा रजक सहित समस्त स्टाफ मौजूद रहा।

सेवानिवृत्त कर्मचारी को लूटने वाले गिरफ्तार, निकाला जुलूस

नवभारत,जबलपुर। माढ़ोताल थाना अंतर्गत मां रेवा कॉलोनी मोड़ पर बीती रात सब्जी लेकर घर लौट रहे सिंचाई विभाग के एक सेवानिवृत्त कर्मचारी को बाइक सवार डरा-धमकाकर उनका मोबाइल, पहचान पत्र और नगदी लूटने वाले आरोपियों को पुलिस ने पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज और संदेह के आधार पर घेराबंदी करके दबोच लिया है। पकड़े गए आरोपियों में से एक थाने का लिस्टेड गुंडा है, जिसके खिलाफ जिला बदर की कार्रवाई भी शुरू कर दी गई है। गिरफ्तारी के बाद पुलिस अपराधियों के मन में कानून का डर और जनता में सुरक्षा का भाव पैदा करने के लिए तीनों आरोपियों को पैदल उस जगह लेकर गई, जहां उन्होंने वारदात को अंजाम दिया था। इस दौरान पुलिस ने आरोपियों का सरेराह जुलूस निकाला। पुलिस के मुताबिक करमेता निवासी मुन्नालाल पटेल (66) सिंचाई विभाग से सेवानिवृत्त हैं। वह बीती रात बाजार से फल और सब्जी खरीदकर पैदल अपने घर लौट रहे थे। रात करीब 9:15 बजे जैसे ही वह मां रेवा कॉलोनी मोड़ के पास पहुंचे, तभी एक मोटरसाइकिल पर सवार तीन लड़के वहां आए और उनका रास्ता रोक लिया और लूट की वारदात को अंजाम देने के बाद तीनों बदमाश चुंगी नाका की तरफ तेजी से भाग निकले थे।

सीसीटीवी फुटेज से खुले राज, दबोचे गए तीन आरोपी

माढोताल थाना प्रभारी वीरेन्द्र सिंह पवार ने मामले की जानकारी देते हुए बताया कि पुलिस टीम ने घटनास्थल और उसके आसपास के क्षेत्रों में लगे सीसीटीवी कैमरों जांच की थी। फुटेज में दिखे हुलिए और संदेह के आधार पर पुलिस ने घेराबंदी कर राजीव गांधी नगर माढोताल निवासी राहुल चौधरी पिता कमलेश चौधरी, (24) अभिषेक चौधरी पिता बारेलाल चौधरी (22), सुमित उर्फ अन्नू चौधरी पिता सुमित चौधरी (20) को पकड़ा गया। वारदात में इस्तेमाल मोटर साइकिल, लूटा गया मोबाइल, जरूरी दस्तावेज और 500 रुपये नकद बरामद कर लिए हैं। पकड़ा गया आरोपी सुमित उर्फ अन्नू चौधरी माढोताल थाने की गुंडा सूची में शामिल है। पुलिस ने उसके खिलाफ जिला बदर का प्रकरण तैयार कर पेश किया है।

वयस्क होने के आधार पर बीस साल की सजा निरस्त

जबलपुर। मप्र हाईकोर्ट ने डिंडौरी के एक पाक्सो प्रकरण में महत्वपूर्ण फैसला सुनाते हुए अपील स्वीकार कर आरोपी मुकेश पंड्रो की दोषसिद्धि और सजा निरस्त कर उसे दोषमुक्त कर दिया। जस्टिस विवेक अग्रवाल और जस्टिस अवनींद्र कुमार सिंह की युगलपीठ ने कहा कि अभियोजन यह साबित नहीं कर सका कि घटना के समय पीड़िता नाबालिग थी। विशेष न्यायाधीश (पाक्सो) डिंडौरी ने आरोपी को आईपीसी की धाराओं 363, 366 व पाक्सो अधिनियम की धारा के तहत दोषी ठहराकर 20 वर्ष सहित विभिन्न अवधियों की सजा सुनाई थी।

रेगवां नई बस्ती में अवैध शराब के खिलाफ महिलाओं का प्रदर्शन

नवभारत जबलपुर। माढ़ोताल थाना क्षेत्र की रेगवां नई बस्ती में अवैध शराब की बिक्री से परेशान महिलाओं ने हाथों में लाल झंडे लेकर प्रदर्शन करते हुए अवैध शराब बंद कराने की मांग की ।आक्रोशित महिलाओं ने बुधवार को भगवती मानव कल्याण संगठन के साथ नगर पुलिसअधीक्षक भरत गोठारिया को ज्ञापन सौंपकर कार्रवाई की मांग की। महिलाओं का आरोप है की क्षेत्र में लंबे समय से खुलेआम अवैध शराब का कारोबार संचालित हो रहा है, जिससे सामाजिक माहौल लगातार बिगड़ रहा है। ज्ञापन में आरोप लगाया गया कि पाटन बायपास स्थित एक लाइसेंसी शराब दुकान से क्षेत्र में अवैध रूप से शराब की सप्लाई की जा रही है। महिलाओं ने क्षेत्र के विष्णु चौधरी (पिता बल्लू चौधरी) पर अवैध शराब बेचने का आरोप लगाते हुए कहा की शिकायतों के बावजूद प्रभावी कार्रवाई नहीं हो रही है। उनका यह भी आरोप है की पुलिस उसके घर पहुंचती है, लेकिन कार्रवाई करने के बजाय लौट जाती है। महिलाओं ने बताया की अवैध शराब के कारण क्षेत्र में दिनभर शराबियों और असामाजिक तत्वों का जमावड़ा लगा रहता है। इससे आए दिन विवाद और मारपीट की घटनाएं होती हैं ऐसे में महिलाओं और बच्चों का घर से निकलना भी मुश्किल हो गया है। उन्होंने पूरे मामले की निष्पक्ष जांच कर दोषियों के विरुद्ध सख्त कार्रवाई की मांग की। सीएसपी भरत गोठारिया ने महिलाओं को आश्वस्त किया की मामले की जांच कराई जाएगी और अवैध शराब के कारोबार में लिप्त लोगों के खिलाफ नियमानुसार कठोर कार्रवाई की जाएगी।

जिला बार एसोसिएशन चुनाव की नामांकन प्रक्रिया हुई पूरी

जबलपुर। जिला अधिवक्ता संघ चुनाव ने अब पूरी तरह चुनावी रंग पकड़ लिया है। बुधवार को नामांकन के अंतिम दिन दावेदारों की खासी हलचल रही। निवर्तमान कोषाध्यक्ष विनोद विश्वकर्मा ने इस बार सह सचिव पद के लिए नामांकन दाखिल किया।

अंतिम दिन उपाध्यक्ष और सचिव पद के लिए भी कई नए चेहरे मैदान में उतर गए। उपाध्यक्ष पद के लिए प्रशांत कोहाड़े, सुखविंदर सिंह नादड़ा और सचिन गुप्ता ने नामांकन पत्र जमा किए। सचिव पद के लिए यतेंद्र अवस्थी व शैलेंद्र सिंह ठाकुर ने दावेदारी पेश की। वहीं कार्यकारिणी के 12 पदों के लिए 11 अभ्यर्थियों ने अपने नामांकन दाखिल किए। कार्यकारिणी सदस्य पद के लिए विकास कुमार सांटु संटू सहित अन्य पूरा जोर लगा रहे हैं। नामांकन प्रक्रिया पूरी होने के बाद अब कुल 51 प्रत्याशी विभिन्न पदों के लिए चुनाव मैदान में हैं।

सचिव पद के लिए यतेंद्र शैलेंद्र, सह सचिव पद के लिए विनोद मैदान में

अध्यक्ष पद पर छह, उपाध्यक्ष पर 10, महिला उपाध्यक्ष पर दो, सचिव पर आठ, सह सचिव पर पांच, महिला कोषाध्यक्ष पर चार और पुस्तकालय सचिव पद पर चार प्रत्याशी आमने-सामने होंगे। कार्यकारिणी के 12 पदों के लिए भी मुकाबला दिलचस्प होने के संकेत हैं। नामांकन प्रक्रिया मुख्य चुनाव अधिकारी जीएस ठाकुर की देखरेख में संपन्न हुई।

नए भूमि अधिग्रहण कानून से तय होगा मुआवजा

जबलपुर। मप्र हाईकोर्ट के जस्टिस एमएस भट्टी की एकलपीठ ने भूमि अधिग्रहण मामलों में महत्वपूर्ण फैसला सुनाते हुए स्पष्ट किया है कि नया कानून लागू होने के बाद पुराने अधिनियम के तहत मुआवजा तय नहीं किया जा सकता। एकलपीठ ने दमोह निवासी राम कुमार गुप्ता की याचिका स्वीकार करते हुए 29 अप्रैल 2015 का मुआवजा अवार्ड निरस्त कर दिया और 2013 के भूमि अधिग्रहण कानून के तहत नया अवार्ड पारित करने के निर्देश दिए।

मुसीबत | चार पहिया वाहनों की अवैध पार्किंग से यात्री हो रहे परेशान

वाहनों की पार्किंग से गुम हुआ मेट्रो बस स्टॉप

जबलपुर, नवभारत। शहर के व्यस्ततम मार्गो में से एक कलेक्ट्रेट मार्ग स्थित मेट्रो बस स्टॉप अपनी पहचान खोता जा रहा है। बस स्टॉप के आसपास चार पहिया वाहनों की अवैध पार्किंग और लगातार बढ़ते अतिक्रमण के कारण यात्रियों के लिए बस स्टॉप तक पहुंचना भी मुश्किल हो गया है। सड़क किनारे खड़े वाहनों ने बस स्टॉप को पूरी तरह ढक दिया है, जिससे यात्रियों को बस का इंतजार करने के लिए सड़क पर खड़ा होना पड़ रहा है। इससे दुर्घटना की आशंका भी बढ़ गई है।स्थिति यह है कि बस स्टॉप के आसपास फुटपाथ और सड़क किनारे अतिक्रमण फैलने से पैदल चलने वालों के लिए भी पर्याप्त जगह नहीं बची है। बस आने पर यात्रियों को वाहनों और अतिक्रमण के बीच से निकलकर बस तक पहुंचना पड़ता है।

बुजुर्गों को होती है परेशानी

बता दे कि सबसे अधिक परेशानी बुजुर्गों, महिलाओं और स्कूली बच्चों को हो रही है। स्थानीय लोगों का कहना है कि कई बार शिकायत के बावजूद न तो अवैध पार्किंग हटाई जा रही है और न ही अतिक्रमण पर कोई प्रभावी कार्रवाई की जा रही है। नागरिकों ने प्रशासन और नगर निगम से मांग की है कि बस स्टॉप के आसपास से अवैध पार्किंग और अतिक्रमण तत्काल हटाया जाए तथा यात्री सुविधाओं को बहाल किया जाए।

अतिक्रमण से मुक्त हो

लोगों का कहना है कि लाखो रुपये खर्च कर बनाई गई सार्वजनिक परिवहन व्यवस्था तभी सफल होगी, जब बस स्टॉप यात्रियों के लिए सुरक्षित, सुगम और अतिक्रमण मुक्त रहेंगे। फिलहाल जिम्मेदार विभागों की उदासीनता के कारण आम नागरिकों को रोजाना असुविधा का सामना करना पड़ रहा है।

GREEN VALLEY PUBLIC SCHOOL
A Residential & Day Boarding School
NURSERY TO CLASS 12th
ADMISSIONS OPEN 2026-27
BIG DREAMS NEED A BIG START
GVPS SHAPE THE LEADERS OF TOMORROW WITH FUTURE-READY FACILITIES
KEY FEATURES
Affiliated to CBSE
Bus Facility
Air Cooled Hostel
Atal Tinkering Lab
Separate Hostel for Girls & Boys
Safe Campus
Large Playground
Healthy Environment
Greenery in Abundance
State of Art Classrooms
Digital Classrooms
CCTV Surveillance
For more Information
9300154300, 9300119919
Raigwan, Next to Bharat Petroleum, Patan Road, Jabalpur

यश हायर सेकेण्डरी स्कूल
CBSE/ICSE से MP BOARD में एडमिशन पर,उठायें सरकारी योजना का लाभ। बोर्ड एग्जाम का %बढ़ाएं, समय बचाएं NEET/IIT में एडमिशन गाइडेंस। English & Hindi Medium | Office- 8 to 4
Nursery, LKG, UKG, Admission, Book Uniform Fee
इस वर्ष हमारे 40 बच्चों ने लेपटॉप योजना में पाया 10 लाख का फायदा
नोट- हमारे प्रयास से श्रेष्ठ बच्चों के साथ-साथ कमजोर बच्चें भी बेहतर रिजल्ट लाकर दिखाते है। इसलिए हम देते है बोर्ड परीक्षाओं में बेहतर परिणाम।
सीधे 10वीं, 12वीं, कॉलेज प्राइवेट/रेग्यूलर फार्म भरने की सुविधा
अधारताल तिहारा- 9303580611,9131455600 अमखेरा रोड, गोहलपुर 9111009016

Mr. Solar महाकौशल का सबसे भरोसेमंद
कोई झूठा वादा नहीं, सिर्फ सच
सोलर पार्टनर
• कम बिजली बनने पर क्षतिपूर्ति हम करेंगे
• सबसे तेज सब्सिडी प्रोसेसिंग
• विक्रय पश्चात सर्वोत्तम वाशिंग एवं मेंटेनेंस सर्विस
• सर्टिफाइड प्रोडक्ट
Office : Pls call us on 6267100743, 9644555001
Mr. Solar & Co- 402, 4th Floor, Kaushalya Vihar Apartment, Near Bhanwartal Garden, Napier Town, Jabalpur

THE BEST CREATIVE LEARNING SCHOOL OF JABALPUR
GOLDEN STAR
A MONTESSORY SCHOOL
For Details Call 9981997833 9981997834
Play Nursery | Nursery
KG I - KG II | 1st to VIIIth
CBSE PATTERN OF STUDY
AFFILIATED TO MP BOARD
Mrs. Anamika Singhai Founder
81, Ashok Nagar, In front of Jain Mandir, Adhartal, Jabalpur (M.P.) | Ph. No. : 0761-4115332 | E-mail : goldenstar81@gmail.com

होली लाईट चिल्ड्रन्स ऐकेडमी
हॉयर सेकेण्डरी स्कूल
Holy Light Children's Academy Higher Secondary School
प्रवेश प्रारम्भ
शासन द्वारा मान्यता प्राप्त (नर्सरी से बारहवीं तक) हिन्दी एवं अंग्रेजी माध्यम
नोट- गरीबी रेखा कार्ड धारकों को फीस में विशेष सुविधा
अभिभावकों को मोबाईल एप द्वारा विद्यालय की समस्त जानकारी लाईव
अनुभवी शिक्षक/शिक्षिकाओं द्वारा अध्यापन
स्वस्थ शिक्षा वातावरण
खेलकूद के लिये मैदान व शाला भवन की स्थाई ईमारत
विशिष्ट शिक्षण विधियों द्वारा अध्यापन, नैतिक/पारम्परिक संस्कारों से सुसज्जित शिक्षा
पेंटिंग, ड्राईंग, योग कक्षा, जूडों का विशेष प्रशिक्षण, कम्प्यूटर शिक्षा की व्यवस्था
पिकनिक, आनंद मेला, वार्षिकोत्सव व क्राफ्ट प्रदर्शनी का प्रत्येक वर्ष आयोजन
फेल विद्यार्थी निराश न हो दसवीं, बारहवीं गारण्टी से पास
सभी BA,B.Com., B.Sc.,LLB, B.Ed, M.Ed. हेतु संपर्क करें
Jai Prakash Nagar, Adhartal, Jabalpur (MP) 482004 Mob: 9301646302, 9407059444